



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27638-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 2026 का 332

अमित कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजीताभ चौबे, अंकित शर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. कथित रूप से जनहित में यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के विरुद्ध जांच को निर्धारित समय के भीतर समाप्त करने की मांग के साथ दायर की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि 16.10.2024 को याचिकाकर्ता को जांच के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा गया था।
3. उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी नहीं बताया है कि पिछले लगभग 15 महीनों में याचिकाकर्ता द्वारा जांच की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई थी।
4. इसे देखते हुए, वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है, तथा याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला रखा जाता है कि वह कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकते हैं।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

ए.एच.ए./ए.के.शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"